तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /8806/ 2006/टोंक** **सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-01-25		

एकलपीठ
श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक।
श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण संख्या 1 से 22।
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

——

आदेश

1 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 09–11–2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2 रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0–15 बिस्वा व खसरा नम्बर 376 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील निवाई माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी सा0 देह (भैरूपुरा) की खुद खातेदारी व खुदकाश्त की आराजी है जिसका अंकन खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011–2030 तहसील निवाई खाता संख्या 128 अनुसार हो रहा है। उक्त वर्णित माफी मूर्ति मंदिर की आराजीयात की खातेदारी सम्वत 2020–23 में अकेले पुजारी बजरंगा पुत्र रामनाथ ब्राहमण को गलत रूप से खातेदार के रूप में दर्शाते हुए कर दिया एवं पुजारी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उसके वारिसान कालू लाल व प्रहलाद के नाम आ गयी तथा उक्त कालू लाल व प्रहलाद के फौत हो जाने से उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम अंकित कर दी है। इस प्रकार मंदिर कुन्ज बिहारी जी की खुदकाश्त की भूमि को पुजारियो ने गलत रूप से अंकित करवाली है। माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /8806/ 2006/टोंक** **सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दर्ज कर दिया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। अति0 जिला कलेक्टर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। 3 विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। 4 अभिभाषक प्रार्थीगण ने उपरोक्त तर्को का समर्थन करते हुये कहा कि विवादित आराजी मंदिर माफी श्री कुन्ज बिहारी के नाम पुनः खातेदारी दर्ज की जावें। 5 उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। 6 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आराजी खसरा नम्बर 375 रकबा 0—15 बिस्वा व खसरा नम्बर 376 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम भैरूपुरा तहसील निवाई माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी सा0 देह (भैरूपुरा)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /8806/ 2006/टोंक** **सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की खुद खातेदारी व खुदकाश्त की आराजी है जिसका अंकन खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011—2030 में माफी मंदीर श्री कुन्ज बिहारी सा. देह एतमाम पुजारी बजरंगा वल्द रामनाथ ब्राह्मण सा. देह दर्ज है। उक्त वर्णित माफी मूर्ति मंदिर की आराजीयात की खातेदारी सम्वत 2020—23 में अकेले पुजारी बजरंगा पुत्र रामनाथ ब्राहमण को गलत रूप से खातेदार के रूप में दर्शाते हुए कर दिया एवं पुजारी की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि उसके वारिसान कालू लाल, प्रहलाद के नाम आ गयी तथा उक्त कालू लाल व प्रहलाद के फौत हो जाने से उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम अंकित कर दी गई है। इस प्रकार माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है। 7 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /8806/ 2006/टोंक** **सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। 8 निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को पुनः '' माफी मंदिर श्री कुन्ज बिहारी सा. देह'' के नाम पूर्ववत बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण की खातेदारी/नामांतरकरण विलोपित/ निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	